आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय,गिरिडीह। (Email id-dccourt.grd@gmail.com) **Eviction Appeal NO. 01/2020** **सहदेव राम–बनाम–राज्य एवं शंकर राम**	आदेश पर गई कार्रवाई बारे मे ... तिथि सहित
	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	

12.04.25

अभिलेख आदेशार्थ उपस्थापित। यह वाद अपीलार्थी सहदेव राम के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, गिरिडीह द्वारा Eviction Case no. 04/2017 शंकर राम बनाम 1.कार्यपालक पदाधिकारी, नगरपालिका एवं 2. सहदेव राम में पारित आदेश दिनांक 18.08.2020 के विरूद्ध Section 24 of Jharkhand Building(Lease, Rent & Eviction) Control Act, 2011 के तहत दायर किया गया है। दायर अपीलवाद को सुनवाई हेतु स्वीकृति प्रदान कर विभिन्न तिथियों में सुनवाई की गई।

विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, गिरिडीह द्वारा Eviction Case no. 04/2017 शंकर राम बनाम 1.कार्यपालक पदाधिकारी, नगरपालिका एवं 2. सहदेव राम में पारित आदेश दिनांक 18.08.2020 का मूल सार निम्नवत् हैः–

यह वाद गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत सरकारी दुकान सं0 31 से संबंधित है।प्रथम पक्ष के द्वारा दाखिल एकरारनामा जिसमें विपक्षी सं0 02 के द्वारा उन्हे दुकान दी गयी है, नगरपालिका के बन्दोबस्ती कंडिका 06 का उल्लघंन होने के कारण उनके आवेदन को खारिज किया गया है। विपक्षी सं0 02 के द्वारा प्रथम पक्ष को किराये पर दुकान दिया गया प्रतीत होता है, चुकी प्रथम पक्ष के नाम उक्त दुकान सं0 31 का बिजली बिल कनेक्शन किया हुआ है जो Jharkhand Building(Lease, Rent & Eviction) Control Act, 2011 की धारा 19(1)(क) का उल्लघंन है, जिसमें निष्कासन का विनियम प्रावधान का उल्लेख किया गया है कि "किरायेदार की शर्तों का उल्लघंन करने के लिए, अथवा मकान मालिक की सहमति के बगैर भवन या उसके किसी भी भाग को शिकमी किरायेदारी पर देने के लिए, अथवा यदि व मकान मालिक का कर्मचारी हो जो उसके ऐ नियोजन के समाप्त हो जाने पर कर्मचारी के रूप में भवन का अधिभोग करता हो" अतः नगरपालिका के द्वारा विपक्षी सं0 2 सहदेव राम के साथ की गयी बन्दोबस्ती को रद्द किया जाता है एवं नगर निगम, गिरिडीह को आदेश दिया जाता है कि उक्त दुकान सं0 31 का पुनः नियमानुसार बन्दोबस्ती की कार्रवाई की जाय।

इस वाद के उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना गया एवं उनके द्वारा दायर दस्तावेजों, लिखित Statements का अवलोकन किया गया।

विवेचना एवं निष्कर्ष

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं के बहस तथा उनके द्वारा उपस्थापित दस्तावेजों एवं निम्न न्यायालय अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि:–

1. अपीलार्थी (सहदेव राम) एवं विपक्षी सं0 2(शंकर राम) द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, गिरिडीह के न्यायालय में प्रस्तुत की गई दस्तावेजों से इतर कोई अन्य दस्तावेज/साक्ष्य अपने वक्तव्यों/दावे को साबित करते हेतु इस न्यायालय में दायर नहीं किया गया। और न ही कोई ऐसा दस्तावेज/साक्ष्य/एकरारनामा दायर किया गया जो उक्त सरकारी दुकान की बन्दोबस्ती को रद्द नहीं करने को वैध साबित करता हो।
2. अपीलार्थी (सहदेव राम) के द्वारा Jharkhand Building(Lease, Rent & Eviction) Control Act, 2011 की धारा 19(1)(क) का भी उलंघन किया गया है।
3. भविष्य में किसी सरकारी दुकान/भवन के किरायेदार द्वारा सरकारी नियमों एवं शर्तो का उलंघन किये जाने की पुनरावृत्ति नही हो इस लिहाज से भी वादगत दुकान का बन्दोबस्ती को रद्द किया जाना उचित प्रतित होता है।

–: आदेश :–

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क, सरकारी अधिवक्ता का अभिकथन, अभिलेख में उपलब्ध दस्तावेज, के परिशीलन के उपरांत अनुमंडल पदाधिकारी, गिरिडीह द्वारा Eviction Case no. 04/2017 शंकर राम बनाम 1.कार्यपालक पदाधिकारी, नगरपालिका एवं 2. सहदेव राम में पारित आदेश दिनांक 18.08.2020 को यथावत् रखते हुए अपीलकर्ता के अपील को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।
आदेश की प्रति उभय पक्षों को उपलब्ध करायी जाय।

विधि–व्यवस्था एवं अन्य प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त रहने के कारण आज आदेश पारित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

12/04/25

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी
गिरिडीह।

12/04/25

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी
गिरिडीह।

Digitally signed by Naman Priyesh Lakra
Date: 2025.04.17 20:18:45 +05:30
Location: fd01::560:91d6:2f0e:9686